तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ठाकुर नारायण सिंह पुत्र लखा सिंह, ग्राम बोरीमादा, तहसील मारवाड़ जंक्शन, पाली 306023 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन प्रथम सूचना अपील संख्या :– 95/2022 जीसीएमएस नं. :– 2022/309 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.06.22	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 06.04.2022 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन से चाही गई थी परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन ने अपने कार्यालय के पत्रांक/आर.टी.आई/2022/1168 दिनांक 23.06.2022 द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में पटवार हल्का सवराड को लिखा जाने पर पटवार हल्का सवराड़ ने उक्त हल्के का उनके पास अतिरिक्त चार्ज होना बताया तथा अतिरिक्त पटवार हल्के के निर्देश रजिस्टर एवं दैनिक डायरी का संधारण उनके द्वारा नहीं किये जाने से वांछित सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। उक्त पत्र की एक प्रति अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 1169 दिनांक 23.06.2022 के प्रेषित कर इस संबंध में अवगत करवा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 23.06.22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। (नमित मेहता) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	